



- 171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी अद्यतन निर्देश जारी किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रवर्ग/परिचयों में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था को सम्बन्धता दिखे जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि -

- 111 विद्यालय में जेरेटर तथा पर्यटन गुल्फ के स्ट में कोई गुल्फ नहीं किया जा रहा है ।
- 121 विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए क्वींटिफाइड योजना लागू कर दी गयी ।
- 131 संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि क्वींटिफाइड योजना तीन माह के भीतर लागू करके उनके द्वारा ज्ञातन की अभिलेखगत प्रथम स्थिति से अद्यतन कराया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की पूरक या शिथिलता अवती या रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनामतित प्रमाण पर वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(अशोक नायकी)  
संयुक्त सचिव ।

सं. 3519111/15-7-1996 तदुद्दिनांक  
=====

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- सहायक संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।
- 4- निरीक्षक, ज्योति भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ ।
- 5- प्रमुख, लार्ड महावीर स्कूल सेक्टर, 29 नोयडा गाजियाबाद ।

अथा से,

(अशोक नायकी)  
संयुक्त सचिव ।

(अशोक नायकी)  
संयुक्त सचिव ।

(P.K. JAIN)  
PRINCIPAL  
Lord Mahavira School  
Sector-29, NOIDA